पत्रांक 10 / न 4–36 / 2012

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

बी0 के0 ओझा,
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक ....

विषय : संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एम0 जी0 कॉलोनी मोड़, पटना को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एम0 जी0 कॉलोनी मोड़, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न उक्त विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय पटना पैरिस सोसाइटी, अशोक राजपथ, बॉकीपुर, पटना के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 81675 वर्गफीट भूखण्ड उपलब्ध है। विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरुप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 24 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरुप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है।

DIRECTOR/SECRETARY
ST. MARY'S ACADEMY
M. G. COLONY
PATNA–25, BIHAR

P.T.O

अपेक्षित शर्तो के अनुसार :–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि: शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों/वर्णित शर्त्तो सक्षम समिति के निर्णयानुसार संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एम0 जी0 कॉलोनी मोड़, पटना को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/–
(बी0 के0 ओझा)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.. दिनांक...

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक 969 दिनांक 04.06.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 857 दिनांक 29/6/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एम0 जी0 कॉलोनी मोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

(NO.-1)

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश
शुद्धि–पत्र

संo–10 / न4–36 / 2012 .... / विभागीय पत्रांक 857 दिनांक 29.06.2012 के द्वारा संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एमo जीo कॉलोनी मोड़, पटना। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें वर्णित पता–"संत मैरी एकेडमी, आशियाना एमo जीo कॉलोनी मोड़, पटना", के स्थान पर "संत मैरी एकेडमी, आशियाना, एo जीo कॉलोनी मोड़, पटना" पढ़ा जाय। इस हद तक उक्त पत्र को संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिका यथावत् रहेंगे।

हo / –

(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, माo शिo।

ज्ञापांकः–10 / न4–36 / 2012......1179 पटना, दिनांक 18/9/12

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली–110092 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना / प्राचार्य, संत मैरी एकेडमी आशियाना, एo जीo कॉलोनी मोड़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, माo शिo।

18/9/12

F:\...\Madarsha\S.D.\ letter

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

पत्रांक 969 /

प्रेषक,

एम दास,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

विशेष निदेशक (मा0 शि0),
शिक्षा विभाग ,बिहार,पटना।

पटना दिनांक 04/06/12

विषय:– संत मैरी एकेडमी ,आशियाना ,ऐ0जी0 कोलनी मोड ,पटना को सी0बी0एस0ई0 पाठयक्रम के संचालन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संत मैरी एकेडमी ,आशियाना ,ए0जी0 कोलनी मोड ,पटना द्वारा सी0बी0एस0ई0 पाठयक्रम के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है ,तदनुसार विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 09.05.12 को किया गया। विभागीय पत्रांक 238 दिनांक 03.04.11 के आलोक में स्थिति निम्नवत् पायी गयी ।

1. यह विद्यालय पटना पैरिस सोसाइटी,अशोक राजपथ बॉकीपुर ,पटना के अधीन संचालित है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है । विद्यालय के प्राचार्य द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विद्यालय को संचालित करने वाले ट्रस्ट में एक परिवार का प्रभुत्व नही है,तथा इसकी सदस्यता वंशानुगत नहीं है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची संलग्न है।
2. विद्यालय प्राचार्य द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया है कि विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी के न्यास के फ्रेचांइजी के रूप में स्थापित नहीं होगा । विद्यालय किसी अन्य विद्यालय के ब्राण्ड नाम का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।
3. विद्यालय का संचालन आशियाना ,ए0जी0 कोलनी मोड ,पटना में किया जा रहा है। वर्त्तमान में विद्यालय कक्षा 01 से 07 तक का संचालन किया जा रहा है। संचालन संबंधी अभिलेख देखे गये।

   विद्यालय के पास कुल 81675 वर्गफीट जमीन है,जिसे काथोलिक चर्च राजा बजार द्वारा अध्यक्ष डॉ0 बेनेडिक्ट जे0 ओस्टा एस0 जे0 के नाम से निबंधित है।

   विद्यालय में कुल 16 कमरे देखे गये। कमरों का नाप लगभग सी0बी0एस0ई0 मापदंड के लगभग अनुरूप पाया गया। विद्यालय में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला देखा गया । विद्यालय के पास में प्रर्याप्त मात्रा में उपस्कर उपलब्ध है।
4. शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विद्यालय द्वारा निकाला गया विज्ञापन देखा गया । निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि चयन ट्रस्ट द्वारा निर्मित पैनल द्वारा किया जाता है । (विज्ञापन की छाया प्रति संलग्न)
5. विद्यालय में हिन्दी शिक्षण किया जाता है।
6. विद्यालय द्वारा ली जाने वाली निर्धारित ट्युशन शुल्क एवं अन्य प्रकार का शुल्क सूचना पट्ट तथा विपत्र पुस्तिका के माध्यम से अभिभावक एवं छात्रों को संप्रेषित किया जाता है।
7. विद्यालय के बार्षिक अंकेक्षण की प्रति दिखायी गयी ।
8. क्रमांक 07 से 10 तक के बारे में विद्यालय प्रबंधन द्वारा शपथ पत्र दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

विश्वासभाजन

4/6/12

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पटना।

DIRECTOR/SECRETARY
ST. MARY'S ACADEMY
A. G. COLONY
PATNA—25, BIHAR